न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01, खेतडी, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – प्रेम सिंह धनवाल
जिला न्यायाधीश संवर्ग

दीवानी नियमित अपील संख्या–75/2019

CIS NO. Civil Regular Appeal/75/2019

घीसाराम पुत्र रामजीलाल आयु 60 साल जाति यादव (अहीर) निवासी मुकन्दपुरा तहसील, खेतड़ी जिला –झुन्झुनू (राज0)(मृतक)

1/1 कमला देवी पत्नी घीसाराम,
1/2 मुकेश देवी पुत्री घीसाराम पत्नी सुरेश कुमार,
1/3 सुनिता पुत्री घीसाराम पत्नी अशोक,
1/4 सुमन पुत्री घीसाराम पत्नी सुरेन्द्र,
1/5 कृष्ण कुमार पुत्र घीसाराम,
1/6 दिलबाग पुत्र घीसाराम
निवासीगण मुकुंदपुरा, तहसील खेतड़ी, जिला–झुंझुनू, राजस्थान

––अपीलार्थी/प्रतिवादीगण

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र स्व0 रामनारायण,
2. सुरेन्द्र पुत्र स्व0 रामनारायण,
3. कालूराम पुत्र देवकरण,
4. सुरेश कुमार पुत्र देवकरण,
5. रतिराम पुत्र लादूराम,
6. रामसिंह पुत्र लादूराम,
7. लालचन्द पुत्र लादूराम,
8. कृष्ण कुमार पुत्र लादूराम,

निवासीगण मुकन्दपुरा तहसील, खेतड़ी जिला–झुन्झुनू(राज0)

––प्रत्यर्थी/वादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 04 सितंबर, 2019 न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश खेतडी, मूल दीवानी वाद संख्या–61/2016(13/2019) बउनवानी अमर सिंह व अन्य बनाम घीसाराम, दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक आदेश, पीठासीन अधिकारी करूणा शर्मा, आर0जे0एस0

उपस्थिति–

01. श्री गजानंद यादव – अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी/प्रतिवादीगण
02. श्री हवासिंह बबेरवाल – अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी/वादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक 12 मार्च, 2026

(01) अपीलार्थी/प्रतिवादीगण कमला देवी व अन्य की ओर से प्रथम दीवानी अपील अन्तर्गत धारा 96 आदेश 41 नियम दीवानी प्रक्रिया संहिता विरूद्ध प्रत्यर्थी/वादीगण अमर सिंह व अन्य दिनांक 30.10.2019 को इस न्यायालय के समक्ष पेश हुई। हस्तगत अपील विचारण न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश खेतडी, में विचारित मूल दीवानी वाद संख्या 61/2016(13/2019) बउनवानी अमर सिंह व अन्य बनाम घीसाराम, दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक आदेश, निर्णय दिनांक 04 सितम्बर, 2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए वादीगण अमर सिंह व अन्य द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक आदेश स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि वह वादीगण के वादवर्णित भूखण्ड के साथ में कोई मिट्टी की कटाई ना रके एव ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे वादीगण के रिहायशी मकानात, डंडा आदि को कोई क्षति, वर्षाती पानी एकत्रित हो एवं ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे वादीगण के उपयोग–उपभोग में कोई बाधा दखलंदाजी पैदा हो। साथ ही प्रतिवादी को यह भी आदेश दिया कि दौराने वाद प्रतिवादी ने कोई कच्चा पक्का निर्माण किया है तो उसे हटा ले। इस निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत नियमित प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश हुई है। सुविधा की दृष्टि से पक्षकारों को उनके मूल नामों से ही सम्बोधित किया जायेगा।

(02) प्रकरण के संक्षेप में इस प्रकार है कि–प्रत्यर्थी/वादीगण अमर सिंह व अन्य द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विरुद्ध अपीलार्थी/प्रतिवादी घीसाराम बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक आदेश इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण ग्राम मुकन्दपुरा के निवासी हैं, वादीगण के पूर्वजों के वक्त का कदीमी पुख्ता बाड़ा भूखण्ड है जो कि पूरब से पश्चिम 180 फुट और उत्तर से दक्षिण 115 फुट है तथा वादीगण के पूर्वज जो तीन भाई थे जिन्होनें बाहमी बंटवारा कर लिया था एवं बंटवारे के अनुसार वे अपने–अपने पुख्ता मकानात बनाकर शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण के उक्त वर्णित भूखण्ड के पूरब में राजेन्द्र यादव के मकान, पश्चिम में बलबीर यादव के मकानात, उत्तर में खाली भूमि फिर प्रतिवादी के काश्त की भूमि व दक्षिण में आम रास्ता फिर आबादी भूमि है। वादीगण के उक्त वर्णित भूखण्ड की उत्तर दिशा की दीवार को प्रतिवादी ने जेसीबी मशीन चलाकर मिटटी के टीले की कटाई कर खेत में शामिल करने का कार्य कर मिट्टी की कटाई कर नीचे से नींव की कटाई कर कमजोर कर दिया है तथा मना करने पर

झगड़ा करने पर आमादा हो गया तथा गत सप्ताह में दीवार की नींव की खुदाई कटाई करने से गिर गई जिससे वादीगण का 60,000/—रूपये से भी ज्यादा का नुकसान हो गया, जबकि प्रतिवादी का वादीगण के उक्त वर्णित भूखण्ड से कोई संबंध सरोकार नहीं है। वादीगण के प्लाट की दीवार को नुकसान पहुंचाने का प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है तथा वादीगण के द्वारा प्रतिवादी को दीवार से शटकर मिटटी की कटाई नहीं करने के लिए मना करते हैं तो दीवार गिराने तक व दीवार के शटकर पक्का निर्माण करने की धमकी दे रहा है एवं इसी धमकी के चलते प्रतिवादी ने दीवार को गिरा कर उक्त नुकसान कर दिया है। वादीगण ने ग्राम के मौजीज व्यक्तियों व सरपंच को भी इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन प्रतिवादी ने किसी की नहीं मानी तथा वादीगण ने थाना, खेतड़ी व पुलिस अधीक्षक महोदय, झुन्झुनू को भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा वादीगण ने प्रतिवादी को बार–बार समझाया व कहा कि दीवार से 06 फुट जगह छोड़कर मिटटी का कटाव करे जिससे दीवार व मकानात नहीं गिरे, लेकिन जबरन लठ के बल पर व राजनीतिक अप्रोच होने, गांव में बड़ा परिवार होने से वादीगण को काफी आर्थिक क्षति कर हैरान व परेशान कर रखा है। वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया कि प्रतिवादी को पाबन्द करवाये कि वह मिटटी की कटाई कर वादीगण को गिराई गई दीवार के अलावा दीवार व मकानात नहीं गिराये ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे उनको किसी प्रकार की रिहायश में बाधा व क्षति पहूंचे तथा किसी प्रकार से भी दीवार व मकानातों को क्षति नहीं पहूंचे तथा दीवार से 06 फुट जगह छोड़कर मिटटी का कटाव व खेती करे तथा 06 फुट जगह दीवार व मकानात को सुरक्षा हेतु व सुखाधिकार हेतु 06 फुट जगह छुड़वाये वरना वादीगण को ऐसी क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं हो सकेगा एवं वादीगण के मकानात का उपयोग उपभोग नहीं हो सकेगा। अन्त में वादीगण ने अपना वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अन्दर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश किये जाने का कथन करते हुए कथन किया कि प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावे कि वे वाद वर्णित भूखण्ड के साथ में कोई मिटटी की कटाई ना करे एवं ऐसा कोई कृत्य ना करे जिससे वादीगण के रिहायशी मकानात, डण्डा आदि को कोई क्षति हो, वर्षाती पानी एकत्रित हो एवं ऐसा कोई कृत्य ना तो प्रतिवादी स्वयं करे ना ही किसी अन्य से ऐसा करवाये। दौराने वाद यदि प्रतिवादी वादीगण के प्लाट पर कोई मिटटी खुदाई कर रिहायशी मकानात एवं पुख्ता डण्डे को कोई क्षति पहुंचा देता है या दौराने दावा कोई कच्चा पक्का निर्माण करता है तो प्रतिवादी के खर्चे से आज्ञापक आदेश

से हटवाया जावे। अन्त में वादीगण ने वाद वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री कर खर्चा वाद वादीगण को दिलाये जाने का निवेदन किया।

(03) प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा इस आशय का पेश किया कि वादीगण ने जो मकान बताएं हैं वह मकान नहीं बल्कि गांव का सार्वजनिक जोहड़ खसरा नम्बर 248 रकबा 16.41 हेक्टर गैर मुमकिन जोहड़ की सार्वजनिक भूमि है जवाब दाता प्रतिवादी की खसरा नम्बर 27 रकबा 042 हेक्टर खातेदारी की कृषि भूमि है। इस प्रकार वादीगण का मकान नहीं बल्कि गांव की सार्वजनिक हित की गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण है जो इस दावा की आड़ में अपनी आबादी व मकान बनाकर न्यायालय द्वारा इस दावा के माध्यम से इस अतिक्रमण को कानूनी अधिकार बताकर आबादी बताकर अवैध कब्जा को वैध बताना चाहता है। वाद वर्णित भूखण्ड वादी का नहीं है बल्कि जोहड़ की भूमि पर अवैध अतिक्रमण है इस जोहड़ में पानी भरता है एवं गांव के पशु मवेशी चरते हैं इसमें काफी संख्या में पेड़ पौधे खड़े हैं गांव के बच्चे खेलते हैं। इस जोहड़ में वादीगण ने अवैध अतिक्रमण कर लिया है एवं उस अवैध अतिक्रमण को न्यायालय में यह दावा कर वैध बनाने के लिए, अतिक्रमण को अपना स्वामित्व बताने के लिए यह झूंठा दावा किया है। जब वादीगण का स्वामित्व ही विवादित भूखण्ड पर नहीं है, बल्कि यह जोहड़ की भूमि है तो माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित जजमेंट इन रेम अब्दूल रहनमान बनाम राजस्थान राज्य द्वारा पारित निर्णय का उल्लंघन करते हुए यह दावा पेश किया गया है। जब वादीगण का यह भूखण्ड कभी नहीं था तो परस्पर बंटवारा करने, पूर्वजों का होने के सभी तथ्य झूंठे दर्ज किये हैं। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा में आगे यह भी अभिकथन किया है कि वादीगण ने गलत चतुर सीमाएं दर्ज की है कमीश्नर रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे अनुसार वादीगण द्वारा दर्ज सीमाएं मेल नहीं खाती है। वादीगण ने नजरी नक्शा गलत पेश किया है तथा अपने नाजायज अतिक्रमण का क्षेत्रफल भी दर्ज नहीं किया है इससे स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि गैर मुमकिन जोहड़ की है एवं वादीगण को इसके क्षेत्रफल का भी ज्ञान नहीं है। प्रतिवादी के खेत खसरा नम्बर 27 खातेदारी की कृषि भूमि है, कृषि भूमि को समतलीकरण एवं उपजाउ बनाने का प्रतिवादी को अधिकार है जबकि जोहड़ की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। वादीगण को किसी भी प्रकार की हानि होने का प्रश्न ही नहीं है वादीगण का विवादित भूखण्ड नहीं है, बल्कि यह जोहड़ की सार्वजनिक हित की भूमि है। वादीगण को सार्वजनिक हित की जोहड़

की भूमि में अतिक्रमण करने व दीवार बनाने का अधिकार नहीं है। वादीगण को गैर मूमकिन जोहड़ की सार्वजनिक हित की भूमि पर अतिक्रमण करने, गांव के जोहड़ के पानी के प्रवाह, पशु चरने बच्चों के खेलने की भूमि पर अवैध कब्जा करने का अधिकार नहीं है। वादीगण स्वयं कानून का उल्लंघन करते है व उल्लंघन करने के उद्देश्य से कानूनी सहायता चाहते हैं जो नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार वादीगण का दावा गलत एवं झूंठे तथ्य पर आधारित होने से खारिज होने योग्य है। वादीगण ने कानून का उल्लंघन कर व आम जनता को परेशान किया है। वादीगण को किसी ने भी हैरान परेशान नहीं किया है। वादीगण की कोई मकान व दीवार नहीं बल्कि जोहड़ की भूमि में अवैध अतिक्रमण है एवं वादीगण को आम जनता के हित के जोहड़ व उसमें जाने वाले पानी के प्रवाह के नालों पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण ने झूंठे तथ्य वर्णित किये हैं, बल्कि वह अपने अवैध अतिक्रमण को इस दावा के माध्यम से वैध साबित करना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। वादीगण को जोहड़ में एक इंच भूमि पर अतिक्रमण करने, निर्माण करने का अधिकार नहीं है, बल्कि उसके अतिक्रमण से कानून का उल्लंघन है। प्रतिवादी की ओर से अतिरिक्त उत्तर में यह अभिकथन किया गया कि गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि खसरा नम्बर 248 पर नाजायज अतिक्रमण कर निर्माण करने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं है, बल्कि गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि पर किये गये अतिक्रमण अर्थात कानून के उल्लंघन के कृत्य का कानूनी लाभ वादीगण नहीं ले सकते हैं, वादीगण का विवादित भूखण्ड पर कोई स्वामित्व नहीं है ना ही कब्जा है, बल्कि नाजायज अतिक्रमण है। वादीगण का घोषणात्मक अनुतोष का दावा भी नहीं है इसलिए वादीगण का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। वादीगण ने गैर मुमकीन जोहड़ की भूमि पर किये गये अतिक्रमण की सुरक्षा के लिए वाद में अनुतोष चाहा है जो माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित भिन्न भिन्न निर्णयों एवं निर्देशों के विपरीत हैं। अतः वादीगण का दावा मय खर्चा खारिज किये जाने की कृपा करे।

(04) उभयपक्षों द्वारा किये गये अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किये गये–

1. आया वादीगण वादपत्र की मद संख्या–03 में वर्णित भूखण्ड पर विधिक रूप से काबिज हैं ?

........वादीगण

2. आया प्रतिवादी ने मिटटी का कटाव कर वादीगण की दीवार को गिरा दिया है ओर मकानात को नुकसान पहुंचाने पर आमदा हैं ?

...........वादीगण

3. आया घोषणात्मक अनुतोष के बिना मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं है ?

.....प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

(05) वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह पी0डब्ल्यू–01 अमरसिंह, पी0डब्ल्यू–02 रामसिंह, पी0डब्ल्यू–03 कालूराम, पी0डब्ल्यू–04 सुरेन्द्र को पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 नजरी नक्शा, प्रदर्श–02 कमीश्नर रिपोर्ट की सत्यप्रति, प्रदर्श–03 कमीश्नर रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा की सत्यपति को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

(06) प्रतिवादी की ओर से उक्त साक्ष्य के खण्डन में मौखिक साक्ष्य में गवाह डी0डब्ल्यू–01 घीसाराम, डी0डब्ल्यू–02 जगमाल, डी0डब्ल्यू–03 सुभाष पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावजी साक्ष्य में प्रदर्श ए–01 नक्शा राजस्व, प्रदर्श ए–02 जोहड़ की जमीन की जमाबंदी, प्रदर्श ए–03 घीसाराम के खेत की जमाबंदी, प्रदर्श ए–04 पुलिस की जांच रिपोर्ट को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

(09) विचारण न्यायालय ने उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर दोनों पक्षों की साक्ष्य लिये जाने के पश्चात् दोनों पक्षों की बहस अंतिम सुनकर प्रत्यर्थी/वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

(10) बहस अपील सुनी गई। पत्रावली एवं विधि के प्रावधानों का अवलोकन व मनन किया गया।

(11) अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से अपील मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत की है कि–– विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 04.09.2019 पत्रावली पर आई साक्ष्य तथा विधि के प्रावधानों के विरूद्व होने से अपास्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का सही विश्लेषण नहीं किया और प्रतिवादीगण की साक्ष्य पर गौर नहीं कर कानूनी भूल की है। वादीगण राजकीय भूमि चारागाह की भूमि पर अतिक्रमी है, इसलिए अतिक्रमी को कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। बिना घोषणा करवाए मात्र स्थाई

निषेधाज्ञा का दावा चलने नहीं होने के बावजूद दावा मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का खारिज होने लायक है। वादीगण ने अपने वादपत्र में राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि विवादित भूमि का कोई टाईटल वादीगण के पास नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी पेश की है, जो यह दर्शित करती है कि वादग्रस्त भूमि गैरमुमकिन जोहड़ की भूमि है। वादीगण ने अपनी साक्ष्य में अपने दावे के अभिवचनों का समर्थन नहीं किया है तथा वादीगण ने जोहड़ की भूमि होते हुए भी जानबूझकर इंकार किया है, जबकि भूमि का गैरमुमकिन जोहड़ का होना प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श ए–03 से साबित है। अतः अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे।

(12) दौराने बहस अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की ओर से अपील में प्रस्तुत किए गए आधारो को दोहराया गया तथा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाने का निवेदन किया।

(13) उक्त तर्को का विरोध करते हुये प्रत्यर्थी/वादी के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य की सूक्ष्मतापूर्वक विवेचना करने के बाद निर्णय व डिक्री पारित की है। अतः अपीलार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा की गई आपत्ति स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अस्वीकार की जावे।

(14) उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया गया। विचारण न्यायालय की ओर से पारित आक्षेपित निर्णय का, अपील मेमो में प्रस्तुत किये गये आधारों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के अन्तर्गत विवेचन किया गया।

(15) अब न्यायालय को देखना यह है कि ''क्या विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कोई विधिक व तथ्यात्मक भूल की गई है और परिणामतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है ?''

(16) विवाद्यकों के संबंध में न्यायालय का विवेचन निम्नांकित है–

विवाद्यक संख्या 01 व 02

(17) उक्त दोनों विवाद्यक एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण उक्त दोनों विवाद्यकों का निस्तारण एकसाथ किया जा रहा है। उक्त दोनों विवाद्यकों को साबित करने का भार वादीगण पर था। जिसमें विवाद्यक सं 01 के तहत वादीगण को सिद्ध करना है कि वादीगण वादपत्र की

मद संख्या–03 में वर्णित भूखण्ड पर विधिक रूप से काबिज हैं। इसी प्रकार विवाद्यक सं 02 के तहत वादी को सिद्ध करना है कि प्रतिवादी ने मिटटी का कटाव कर वादीगण की दीवार को गिरा दिया है ओर मकानात को नुकसान पहुंचाने पर आमदा है।

वादीगण की ओर से गवाह पी0डब्ल्यू–01 अमरसिंह न्यायालय के समक्ष पेश होकर परीक्षित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में वादपत्र के कथनों को दोहराया तथा दौराने प्रतिपरीक्षा कथन किया कि जिस जगह का इसने दावा किया है उस जगह का इसके पास कोई पट्टा नहीं है। जिरह में गवाह ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि विवादग्रस्त भूखण्ड इसका है इस बाबत कोई भी दस्तावेज नहीं है। यह कहना गलत है कि यह भूमि जोहड़ की भूमि है, बल्कि जोहड़ काफी दूर है। यह सही है कि जिस भूमि का इसने दावा किया है वह घीसाराम के दक्षिण में है जो इसके मकानों से डेढ बीघा दूर है। जिरह में गवाह ने आगे कथन किया कि इसे नहीं पता कि घीसाराम के खेत के खसरा नम्बर 27 हैं। जिरह में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि घीसाराम का खेत नीचे है, विवादग्रस्त भूमि उंचाई पर है, दोनों को उंचाई के स्तर में करीब 4–5 फुट का अन्तर है। यह सही है कि विवाद वाली जगह की आधी भूमि इसके हिस्से में हैं। इसे मकान बनाने की अनुमति किसी ने नहीं दी अजखुद कहा कि गांव बना रहा था तो इसने भी बना लिये।

गवाह पी0डब्ल्यू–02 रामसिंह है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में वादी के कथनों का हूबहू समर्थन किया है व दौराने प्रतिपरीक्षा गवाह ने कथन किया कि वादी अमरसिंह इसके ताउ का लड़का भाई है जिस जगह का इसने दावा किया है उसके मालिकाना बाबत उसके पास कोई पट्टा या दस्तावेज है या नहीं इसको नहीं पता। मुकन्दपुरा गांव इस जमीन के चारों तरफ बसा हुआ है। इसे नहीं पता कि विवादित भूमि जोहड़ की है, पुरा गांव ही बसा हुआ है। यह सही है कि प्रतिवादी अपने खेत में काश्त करता है। अमरसिंह ने जो दावा किया उस मकान व घीसाराम के खेत के बीच की जमीन सरकारी है, उस जमीन की किस्म क्या है यह नहीं बता सकता। यह सही है कि अमरसिंह ने जिस दीवार का मुकदमा किया है वह दीवार बनाने के लिए किसी से अनुमति नहीं ली, गवाह स्वतः कहता है कि पुरा गांव बना रहा था। इसने जमीन में मकान बना रखे हैं उसके खसरा नम्बर इसे नहीं पता, इसके व अमरसिंह के मकानों की एक ही भूमि है, यह जमीन हमारे पिताजी ने रोकी थी। पिताजी ने ही मकान बनाये थे। मालिकाना बाबत कोई कागज नहीं दिया, सारा गांव ही बसा हुआ है।

गवाह पी0डब्ल्यू–03 कालूराम है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में वादी के कथनों का समर्थन किया तथा दौराने प्रतिपरीक्षा कथन किया कि उसे नहीं पता कि जिस भूमि में हमने हमारे मकान होना बताये हैं उसके खसरा नम्बर 248 हो। जिरह में गवाह ने कथन किया कि विवादित स्थल का इसके पास पटटा नहीं है, मकान बनाने के लिए ग्राम पंचायत, तहसीलदार या किसी सरकारी एजेन्सी से कोई अनुमति नहीं ली। जिरह में गवाह ने यह भी कथन किया कि इसके और अमरसिंह के मकान अलग–अलग हैं। जिरह में गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि जिस जमीन में इसने मकान बनाए हैं वह गैर मुमकीन हो, बल्कि यह भूमि आबादी भूमि है। जिरह में गवाह ने यह भी कथन किया कि यह आबादी भूमि है इस बाबत इसने कोई सबूत पेश नहीं किया। जिरह में गवाह ने आगे कथन किया कि मुकन्दपुरा गांव में बीच में यह जमीन है। यह भूमि आबादी भूमि है इसका सबूत पेश नहीं करने का यह कोई कारण नहीं बता सकता।

गवाह पी0डब्ल्यू–04 सुरेन्द्र है इसने भी अपने मुख्य परीक्षण में वादी के अन्य गवाहों के कथनों का समर्थन किया है। दौराने प्रतिपरीक्षा गवाह ने कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। जिरह में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि विवादित दीवार बनाने के लिए कोई अनुमति नहीं ली। इसके मकान अलग जगह है और अमरसिंह का मकान अलग जगह है, इसके मकान विवादित स्थल से करीब 50 मीटर उत्तर से दक्षिण की तरफ हैं।

प्रतिवादी की ओर से परीक्षित गवाहान में प्रतिवादी घीसाराम डी0डब्ल्यू–01 के रूप में पेश होकर परीक्षित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में जवाब दावा का हूबहू समर्थन किया व दौराने प्रतिपरीक्षा गवाह ने कथन किया कि मौके पर कमीश्नर रिपोर्ट बनाने गया तो यह मौके पर उपस्थित था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि इसने मौका कमीश्नर रिपोर्ट पर कोई आपति नहीं की। इसने कमीश्नर को जोहड़ दिखा दिया था इसने अपनी रिपोर्ट बताया या नहीं इसे नहीं पता। इसने अपनी जमीन खसरा नम्बर 27 की कभी नपती व सीमाज्ञान नहीं करवाया। खसरा नम्बर 248 में वादीगण ने मकान बना रखे हैं और पीछे अन्य लोगों ने भी बना रखे हैं। गांव में किन लोगों ने मकान बना रखे हैं इसे नहीं पता। वादी के मकानों की दीवार तक इसका खेत है वहां यह काश्त करता है वह जमीन सरकारी है या नहीं इसे पता नहीं है इसके बुर्जुगों ने डोला लगा रखा था इसलिए यह जोत करता है।

जिरह में गवाह ने यह भी कथन किया कि वादीगण ने मकान सरकारी भूमि में होना व उनसे शटकर यह जिस जमीन को जोत करता है वह जमीन खातेदारी में होना यह बुर्जुगों के बताए अनुसार बता रहा है। जिरह में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि जिस जमीन को यह काश्त करता है वह वादीगण के मकानों से शटकर लगती है।

गवाह डी0डब्ल्यू–02 जगमाल ने अपने मुख्य परीक्षण में जवाब दावे के कथनों की पुनरावृत्ति की तथा दौराने प्रतिपरीक्षा गवाह ने कथन किया कि शपथ पत्र में क्या लिखा है यह नहीं पढ सकता, क्यांकि इसे दिखाई नहीं देता है। शपथ पत्र तो घीसाराम ने तैयार किया था। वादीगण किसी कहते हैं यह नहीं बता सकता। गैर मुमकीन का मतलब जो चीज सही नहीं है उसे कहते हैं। जिरह में गवाह ने यह भी कथन किया कि प्रतिवादी घीसाराम की जमीन समतल है पांच वर्ष पहले उबड़ खाबड़ थी, जिसे ट्रेक्टर से समतल करवाया गया है। जिरह में गवाह ने यह भी कथन किया कि इसे किसी के खसरा नम्बर पता नहीं है, इस खसरा नम्बर के नम्बर याद किये थे कि वकील पूछेगाा। वादीगण जोहड़ की जमीन में आबाद हुए हैं तथा और भी लोग बसे हुए हैं। जिरह में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि वादीगण के पडौसी सुमेर व बलबीर से लेकर प्रतिवादी के घर तक आबादी बसी हुई है मुकन्दपुरा गांव की करीब 250–300 घरों की है जो सरकारी भूमि व आबादी भूमि में बसी हुई है।

गवाह डी0डब्ल्यू–03 सुभाष ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रतिवादी के अन्य गवाहान के कथनों का समर्थन करते हुए दौराने प्रतिपरीक्षा कथन किया कि घीसाराम के खेत से इसका खेत आधा किलोमीटर दूर पड़ता है। मुकन्दपुरा गांव में करीब तीन सौ घरों की आबादी है किसी के पास भी पटटा नहीं है, क्योंकि यह जमीन गोचर भूमि है, सारा गांव ही गोचर भूमि में बस हुआ है। जिरह में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि हमारे गांव की गौचर भूमि में भी गांव के लोग बस चुके हैं। जिरह में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि आज गांव में जाकर देखे कि कौनसी गोचर भूमि है तो वह नहीं बता सकता, क्योंकि सभी गोचर भूमि में बसे हुए हैं, किसी के पास पट्टा नहीं है। जिरह में गवाह ने यह भी कथन किया कि मेघवाल बस्ती से बणी तक सरकारी भूमि है।

पत्रावली पर आई गवाहान की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक विश्लेषण करें तो वादीगण ग्राम मुकन्दपुरा के निवासी हैं तथा वादीगण के पूर्वजों के वक्त का कदीमी

पुख्ता बाड़ा भूखण्ड है। वादीगण के पूर्वज जो तीन भाई थे जिन्होनें बाह्मी बंटवारा कर लिया था एवं बंटवारे के अनुसार वे अपने–अपने पुख्ता मकानात बनाकर शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे हैं। इस संबंध में स्वयं वादी व उसकी ओर से परीक्षित सभी गवाहान द्वारा दौराने प्रतिपरीक्षा भी विवादित भूखण्ड पर वादीगण का कब्जा होना बताया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के कब्जे के संबंध में कोई आपत्ति नहीं करते हुए विवादग्रस्त स्थल वादीगण का मकान बनाकर काबिज होना बताया है। हालांकि वादी द्वारा दौराने प्रतिपरीक्षा यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि का उसके पास कोई पट्टा व स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है, परंतु वादी द्वारा अपने वादपत्र व साक्ष्य शपथ पत्र में कब्जे बाबत किए गए कथन अखण्डित रहे हैं। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर संलग्न फोटोग्राफ्स व कमीनश्नर रिपोर्ट व नजरी नक्शा से भी विवादित स्थल वादी का कब्जा होना साबित होता है।

अब जहां तक प्रतिवादीगण द्वारा मिट्टी का कटाव कर वादीगण की दीवार को गिराकर व उनके मकानात को नुकसाने पहुंचाने का प्रश्न है तो इस संबंध में वादी पक्ष के गवाहान द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा मिट्टी का कटाव करना जिससे वादी की दीवार गिर जाना बताया है। वहीं प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने जवाब दावे में इस तथ्य को इंकार नहीं यिका है कि उनके द्वारा वादी की दीवार को नहीं गिराया गया हो। स्वयं प्रतिवादी घीसाराम द्वारा दौराने प्रतिपरीक्षा यह स्वीकार किया है कि वह वादीगण के मकानात के शटकर जमीन जोत करता है, क्योंकि उसके बुजुर्गों ने वहां डोला लगा रखा था, इसलिए वह जोत करता है। प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली पर प्रदर्शित दस्तावेज जमाबंदी प्रदर्श ए–03 का अवलोकन करें तो उसमें खसरा नं 27 की भूमि पर प्रतिवादी का नाम का अंकन नहीं है व उसमें यह भी अंकन नहीं है कि खसरा नं 27 के नाप/क्षेत्रफल के संबंध में भी कोई अंकन नहीं है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर संलग्न कमीश्नर रिपोर्ट का अवलोकन करें तो उससे भी प्रतिवादी द्वारा भूमि का कटाव कर वादीगण की उत्तर दिशा की दीवार को गिरा देना व पत्रावली पर संलग्न फोटोग्राफ्स से मौके पर टीनशेड गिरा हुआ होना दृष्टिगत होता है। स्वयं प्रतिवादी घीसाराम द्वारा दौराने प्रतिपरीक्षा भी कमीश्नर रिपोर्ट उसकी उपस्थिति में तैयार किया जाना बताया है एवं कमीश्नर रिपोर्ट के संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति भी नहीं की गई है। इस प्रकार उक्त तथ्यों से यह भी प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी द्वारा मिट्टी का कटाव कर वादीगण को दीवार को गिरा दिया और जिससे उनके मकानात को नुकसान पहुंचा।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Abdul Rahman Vs State of Rajasthan & Ors. Civil Writ petition No. 1536/2003 decided on 02-08-2009 में पारित दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दावा पेश किया जाना बताया है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Abdul Rahman Vs State of Rajasthan & Ors. Civil Writ petition No. 1536/2003 decided on 02-08-2009 का सम्मानपूर्वक अवलोकन करें तो उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा गोचर या अन्य गैर मुमकिन जोहड़ की जमीन के संबंध में पट्टा जारी करना या उसका स्वरूप बदलने को अवैध बताया है एवं राज्य और स्थानीय प्रशासन का दायित्व है कि वे इस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर सुरक्षित रखें। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत से यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है, परंतु किसी अन्य व्यक्ति को केवल इस आधार पर कि वह शांतिपूर्वक गोचर की भूमि पर काबिज है, उसकी जमीन पर अतिक्रमण का अधिकार नहीं है। इस संबंध में उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार राजस्थान सरकार को नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने की छूट है, न कि किसी अन्य व्यक्ति को उस पर अतिक्रमण करने का अधिकार है।

उपरोक्त समस्त साक्ष्यों के सम्यक् परीक्षण एवं विवेचन के आधार पर उपरोक्त विवाद्यकों के संदर्भ में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि करते हुए उक्त विवाद्यक सं 01 आंशिक रूप से वादी के हक में व विवाद्यक सं 02 वादी के हक में के विनिश्चत किए जाते हैं।

विवाद्यक संख्या 03

(18) उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। जिसके तहत उन्हें सिद्ध करना था कि घोषणात्मक अनुतोष के बिना मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं है। इस संबंध में हालांकि प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष न तो कोई साक्ष्य दी है व न कोई विधि का वर्णन किया है, परंतु उक्त संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत "Anathula Sudhakar Vs P. Buchi Redddy by Lrs & Ors." (2008) AIR(SCW) 2692 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि वादी शांतिपूर्ण कब्जे में है तो मात्र निषेधाज्ञा का मुकदमा पर्याप्त है, अन्यथा, स्वामित्व और कब्जे की घोषणा के लिए मुकदमा आवश्यक है, विशेष रूप से खाली भूखंडों के लिए। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में चूंकि वादी विवादित स्थल पर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज है, जिस कारण मात्र निषेधाज्ञा का मुकदमा पर्याप्त है। अतः उपरोक्त

विवाद्यक के संदर्भ में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि करते हुए उक्त विवाद्यक सं 03 अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्व विनिश्चत किया जाता है।

(19) विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का जो तुलनात्मक विवेचन कर निष्कर्ष पारित किया है, वह विवेचन व निष्कर्ष पूर्ण रूप से विधि के प्रावधानों के अनुरूप होना प्रकट होता है। अपील के अन्तर्गत अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा जो आधार विचारण न्यायालय के विवेचन व निष्कर्ष के विरूद्व प्रस्तुत किये गये हैं, वे स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

(20) अतः अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत समस्त आपत्तियों पर विस्तृत रूप से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विवेचन और विश्लेषण किये जाने के पश्चात न्यायालय के मतानुसार विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यकों के संबंध में पारित विनिश्चय में किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। लिहाजा अपील आधारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

(21) परिणामतः अपीलार्थी/प्रतिवादी घीसाराम की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 96 सपठित आदेश 41 नियम 01 दीवानी प्रकिया संहिता विरूद्ध प्रत्यर्थी/वादीगण अमर सिंह व अन्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 सितंबर, 2019 की पुष्टि की जाती है।

(22) अपील खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

(23) विचारण न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की एक प्रति के साथ तुरन्त लौटाई जावे।

(प्रेम सिंह धनवाल)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01,
खेतडी, राजस्थान

(24) निर्णय आज दिनांक 12 मार्च, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेम सिंह धनवाल)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01,
खेतडी, राजस्थान